रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252701
CG-DL-E-07032024-252701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1057]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945
No. 1057]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक वव्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1114(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को एयर कूलर और एयर फ़िल्टर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग –** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी **सूक्ष्म उद्यम** के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **बारह माह** की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में **लघु उद्यम** के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **नौ माह** की समाप्ति तक कुछ भी लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पोर्टल' के तहत पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्तीय वर्ष के लिए टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
एयर कूलर और एयर फ़िल्टर	3315:2019	इवैपोरेटिव एयर कूलर (डेजर्ट कूलर)
	17570 (भाग 1):2021 आईएसओ 16890-2: 2016	सामान्य वेंटिलेशन के लिए एयर फिल्टर - तकनीकी विशिष्टताओं की आवश्यकताएं और पार्टिकुलेट मैटर दक्षता (ईपीएम) के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक बब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/25/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1114(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) This Order may be called the Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. **Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall

bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to **micro enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of **twelve months** from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to **small enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of **nine months** from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under 'Udyam portal' of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.

3. **Certification and enforcement authority.-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Air Cooler and Air Filters	3315:2019	Evaporative Air Coolers (Desert Coolers)
	17570 (Part 1): 2021 ISO 16890-2: 2016	Air Filters for general ventilation - Technical specifications requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/25/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA